प्रेषक,

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0बी0एस0ई0 / /2012–13 दिनांक 28-6-2012

विषयः मिशन पब्लिक स्कूल नबाबगंज जनपद बरेली को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश दिनॉक 14–07–09 के कम में गठित समिति निर्णय दि0 28–06–2012 के कम में उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन आपत्ति नहीं है:–

01–विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

02–विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

03–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

04–संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्रापत है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

05–संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।

06–कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

07–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

08–विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं के रखा जायेगा।

09–उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली।

पृ0सं0: सी0बी0एस0ई0 / 46-53 /2012–13 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01 संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।
02 शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
03 जिलाधिकारी, बरेली।
04 संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।
05 जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
06 प्रबन्धक,/प्रधनाचार्य मिशन पब्लिक स्कूल नबाबगंज जनपद बरेली।
07 निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली।

भवन के पूर्व की ओर से छत डाली जा चुकी है तथा शेष छत का निर्माण कार्य प्रगति में है। भवन नबाबगंज बिजौरिया कल्याणपुर मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी 2 की लगभग 100मी0 चैनेज से बायीं ओर निकलने वाले चकरोड़ पर स्थित है। उ0प्र0रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अनुसार अन्य जिला मार्गा पर लो0नि0वि0 की भूमि मार्ग की मध्य रेखा से दोनों ओर 50.00 फीट लगभग अर्थात लगभग 15.25मी0 निर्धारित है तथा उक्त भवन, अन्य जिला मार्ग की मध्य रेखा से लगभग 45.00मी0 की दूरी पर स्थित है।

उप जिलाधिकारी, सदर ने अपनी आख्या दिनांक 28.07.2011 में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 27.07.2011 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया है जिसमें अंकित किया है कि ग्राम बिजौरिया उर्फ नबाबगंज के गाटा संख्या 211 क्षेत्रफल 1.195है0 है व गाटा संख्या 217क क्षेत्रफल 0.0025है0 में मिशन पब्लिक स्कूल बना है जिसमें 10 कमरे, टायलेट आदि बना है उक्त स्कूल लीलाधर एजूकेशनल ट्रस्ट ग्लोबस कालोनी तुलाशेर पुर बरेली द्वारा चेयरमैन श्री तुलाराम पुत्र नत्थूलाल निवासी ग्रेटर ग्लोब्स कालोनी तुलाशेरपुर शहर बरेली द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में उक्त ट्रस्ट का नाम अंकित है। गाटा संख्या 211 क्षेत्रफल 1.195है0 जिसमें राकेश कुमार पुत्र तुलाराम निवासी ग्रेटर ग्लोब डेलापीर पीलीभीत बाईपास तहसील सदर का नाम खतौनी में अंकित है। उक्त गाटे को बतौर लीड डीड(किरायानामा) शिक्षण संस्था संचालित करने हेतु 29 वर्ष 11 माह के लिए लीलाधर ऐजूकेशनल ट्रस्ट ग्रेटर ग्लोब्स कालोनी तुलाशेरपुर द्वारा चेयरमैन श्री तुलाराम पुत्र नत्थूलाल ने लिया है। इस प्रकार मिशन पब्लिक स्कूल को संचालित करने हेतु कुल 0.622है0 भूमि लीलाधर ऐजूकेशनल ट्रस्ट के नाम अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि पर वन विभाग के पेड़, नाली, चकरोड आदि पर अतिक्रमण नहीं है। लीज डीड 29 वर्ष 11 माह के संबंध में तहसीलदार नबाबगंज ने अवगत कराया है कि 29 वर्ष 11 माह की लीज डीड में औसत वार्षिक किराये के 6 गुने की मालियत पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबधंन शुल्क देय है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन लो0नि0वि0 बरेली की जांच आख्या पत्रांक 3661/2सी दिनांक 03.09.2011 के अनुसार विद्यालय भूतल पूर्णतया निर्मित है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 1100.00 वर्गमी0 है तथा भूतल पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन भूतल का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1100.00 वर्गमी0 के लिए नेशनल बिल्डिं कोड के अतंर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है। शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों एव उ0प्र0रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 एवं नेशनल बिल्डिग कोड के अतंर्गत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

Attested

(राधे श्याम मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
बरेली।

प्रतिलिपि प्रबंधक/प्रधानाचार्य मिशन पब्लिक स्कूल नबाबगंज जिला बरेली।

अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)
बरेली।